न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

अज अदालत – श्री शिवपाल जाट, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –. 189/2017

1. अमानाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी खोखराणा तहसील लूनकरनसर

..... **प्रार्थी**

बनाम

1. चेतराम पुत्र निम्बाराम उर्फ नेमला जाति मेघवंशी
   2/1 गीतादेवी पत्नि रामस्वरूप
   2/2 पपली पुत्री विनोद कुमार
   2/3 विनोद कुमार
   2/4 सुन्दर
   2/5 संजू
   2/6 सुभाष कुमार पुत्र–पुत्रीगण रामस्वरूप
3. मनोहरी पत्नि भंवरलाल
4. भगवानाराम
5. जगदीश
6. भादर पि0 भंवरलाल जाति मेघवंशी निवासीगण खोखराणा तहसील लूनकरनसर
7. दुर्गा पुत्री भंवरलाल पत्नी नरसाराम पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी
8. मदीना पुत्री भंवरलाल पत्नी मोहनराम पुत्र चेतराम जाति मेघवंशी निवासीगण 64 एमपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. माया पुत्री भंवरलाल पत्नी जेठाराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–

1 श्री रामकरण मूण्ड – वकील प्रार्थी।
2 अप्रार्थी सं. 1 स्वयं।
3 राज्य की ओर से पैरोकारराज

–: आदेश :–

दिनांकः– **31.07.2019**

1. प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गाटां के खसरा नम्बर 121 में 8.8500 है0 बरानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के

Scanned by CamScanner

उक्त खसरा नम्बर 121 में आने जाने के लिए कटानी रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी भूमि में आ जा नहीं सकता है। प्रार्थी के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण के नाम से खसरा नम्बर 120 में 3.39 है0 बारानी भूमि रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें उत्तरी सींव पर पूर्व से पश्चिम कटानी रास्ता है। प्रार्थी आवंटन से लेकर आज तक अप्रार्थीगण के खेत में से आता जाता रहा है। लेकिन अब अप्रार्थीगण ने अपने खेत में से आने जाने के लिए मना कर दिया है। अतः रोही मौजा गाटां के खसरा नम्बर 120 तादादी 3.3900 है0 की पूर्व सींव पर उत्तर से दक्षिण व दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम की भूमि तक नियमानुसार रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के अलावा सभी अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विधिवत तामील के बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 से 9 हाजिर नहीं आने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी पहले से ही अपने खेत खसरा नम्बर 121 में पहुंचने के लिए कांकड़ में गांव की तरफ आवागमन करता आ रहा है। खेत में जाने हेतु विकल्प में रास्ता उपलब्ध है। मात्र हरिजन काश्तकार को परेशान करने के लिए रास्ते का आवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्णतया अस्वीकार है। प्रार्थी संख्या 01 ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की भूमि है। जिसमें समस्त काश्तकारों की सहमति आवश्यक है। खसरा नम्बर 121 में अन्य काश्तकार भी है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी पूर्व से अपने खेत के पश्चिम से प्रवेश करता आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। जवाब अप्रार्थी संख्या 10 बन्द किया गया।

3. बहस सूनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ति करते हुए पुनः निवेदन किया कि प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 121 में गाटां से खोखराणा कटानी रास्ता के दक्षिण में खसरा नम्बर 120 अप्रार्थीगण की भूमि से आवागमन करता आ रहा है। चूंकि रास्ता कटानी नहीं होने से अप्रार्थीगण ने अब आने जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी को अपनी जोत में प्रवेश हेतु विकल्प में अन्य कोई रास्ता उपलबध नहीं है। अतः खसरा नम्बर 120 की पूर्वी सींव पर उत्तर से दक्षिण व दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिम प्रार्थी के खेत तक कानूनी रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

4. प्रार्थी की बहस के प्रत्तयुत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान वकील का कथन है कि प्रार्थी का यह कथन कि वह वर्षो से आवंटन से आज तक खसरा नम्बर 120 से ही अपने खेत में आना जाना करता रहा है। जबकि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 121 में प्रवेश हेतु पश्चिम की दिशा

Scanned by CamScanner

में गांव की कांकड़ से आवागमन करता आ रहा है। अतः कांकड़ में रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। इस बिन्दु पर वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि रोही ग्राम गाटां में पड़ती है जबकि कांकड़ अन्य गांव की लगती है। प्रार्थी अप्रार्थी की रास्ता में कम होने वाली भूमि के बदले में उतनी ही भूमि अप्रार्थीगण को देने हेतु सहमत है। प्रार्थी अप्रार्थी के सींव में रास्ता चाह रहा है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की भूमि विभाजन भी नहीं होगा अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 120 में चाहा गया रास्ता स्वीकृत फरमावें।

5. हमने बहस का मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध नजरी नक्शा का अध्ययन किया। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धाारा 251 ए के प्रावधानों के तहत खसरा नम्बर 120 रोही मौजा गाटां की पूर्वी सीव पर उत्तर से दक्षिण व दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा चोड़ाई में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार लूनकरनसर मौका पर उक्त स्वीकृत रास्ता का नाप कर जितनी भूमि रास्ते की बनती है उतनी भूमि प्रार्थी अप्रार्थीगण के पक्ष में बैयनामा तस्दीक करवाकर पेश करने पर स्वीकृत रास्ता का रिकार्ड में अंकन करें।
6. इस आदेश प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

Scanned by CamScanner